

प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या :- 116 / भू0अ0,

पलामू, दिनांक :- 06/02/2018

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रेड़मा, थाना-मेदिनीनगर, थाना सं0-188, अंचल-सदर मेदिनीनगर एवं ग्राम-चियांकी, थाना-मेदिनीनगर, थाना सं0-206, अंचल-सदर मेदिनीनगर, जिला-पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना डालटनगंज 2 नं0 टाउन से पंडित जगनारायण त्रिपाठी बी0एड0 कॉलेज, भीमगढ़ा (चियांकी) लिक पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-रेड़मा, थाना-मेदिनीनगर, थाना सं0-188, अंचल-सदर मेदिनीनगर एवं ग्राम-चियांकी, थाना-मेदिनीनगर, थाना सं0-206, अंचल-सदर मेदिनीनगर, जिला-पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.91 एकड़ यानि 0.3684 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

ग्राम-रेड़मा, थाना सं0-188, कुल रकबा-0.41

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	394	2728	गैरमजरुआ मालिक	टांड 2	0.15½	कमला देवी, पति श्री अवधेश तिवारी	2728	2728	नाला	2728
2	394	2728	गैरमजरुआ मालिक	टांड 2	0.11½	अवधेश तिवारी वो बिन्देश्वरी तिवारी वो दिनेश तिवारी, पिता हरि तिवारी वो गुलाबो कुवंर, पति राजेश तिवारी	2728	2728	2728	2728
3	394	2728	गैरमजरुआ मालिक	टांड 2	0.07	सच्चिदानंद तिवारी, पिता स्व0 देववंश तिवारी	2728	2728	2728	2728
4	394	2728	गैरमजरुआ मालिक	टांड 2	0.07	पारसनाथ तिवारी, पिता स्व0 शिववरण तिवारी	2728	2728	2728	2728

ग्राम-चियांकी, थाना सं0-206, कुल रकबा-0.50

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1

128	49 50	गैरमजरूआ मालिक	टांड 2	0.17½	तलवंती कुवंर, पति स्व० जगनारायण तिवारी	50	50	50	नाला	
2	128	49 50	गैरमजरूआ मालिक	टांड 2	0.32½	कृष्णा संस्थान	50	50	50	50

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल सदर मेदिनीनगर को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

बी. 2. 18

6.2.18

06/02/18